उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 36/2021/1355068/12-2002/3/2021
लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2021

कार्यालय-आदेश

नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्यारेंस प्रोग्राम (के. 50/ रा. 50-रा.)-27- सब्सिडी में प्रावधानित धनराशि रूपये 45000.00 लाख के सापेक्ष रू0 8606.00 लाख (छियासी करोड़ छः लाख रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड.19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(4) निर्गत धनराशि का व्यय विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(5) लाभार्थी कृषकों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

(6) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जाये। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(9) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

(10) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://gbpsanedesi.up.gov.in

(12) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की ''अनुदान संख्या-011 लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म- 110- फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0102- नेशनल क्राप इन्श्यारेंस प्रोग्राम (के. 50/ रा. 50-रा.)-27- सब्सिडी'' के नामे डाली जायेगी।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 36/2021/1355068(1)/12-2002/3/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या: एस-374/सी-32/22/2021-22 दिनांक 18 जून, 2021 के संदर्भ में,
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in